न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— श्री बाबुलाल जाट (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या :— 246 / 2021 **RCMS 2021/989**

वादीया

1. वसुन्धरा पुत्री स्व. मुरलीधर पत्नी कमल किशोर जाति ब्राहम्ण निवासी खजुर वाली कोठी, श्रवणपुरा हाल निवासी दुर्गा कॉलोनी, रामपुरा रोड़ सीकर जिला सीकर राज.

बनाम

प्रतिवादी

1. गीतादेवी पत्नी स्व. मुरलीधर जाति ब्राहम्ण
2. बालकृष्ण पुत्र स्व. मुरलीधर जाति ब्राहम्ण
3. मनीष पुत्र स्व. मुरलीधर जाति ब्राहम्ण
4. हरीशंकर पुत्र स्व. मुरलीधर जाति ब्राहम्ण निवासी खजुर वाली कोठी, श्रवणपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.
5. जमना पुत्री स्व. मुरलीधर पत्नी अनुप कुमार मिश्रा जाति ब्राहम्ण निवासी नेछवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.
6. मंजु पुत्री स्व. मुरलीधर पत्नी सुरेश मिश्रा जाति ब्राहम्ण निवासी बानूड़ा (खूड़) जिला सीकर राज.
7. सुमन पुत्री स्व. मुरलीधर पत्नी रामाकान्त जाति ब्राहम्ण निवासी बानूड़ा (खूड़) जिला सीकर राज.
8. चन्द्रकला पुत्री स्व. मुरलीधर पत्नी होलास गौड़ जाति ब्राहम्ण निवासी भांवता तहसील नावां जिला नागौर राज.
9. अन्नपूर्णा उर्फ चांदनी पुत्री स्व. मुरलीधर पत्नी महेश (धन्नजय) निवासी सांगानेरी गेट भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा राज.
10. संतोष पुत्री स्व. मुरलीधर पत्नी सोमदत्त इच्छावत (शर्मा) जाति ब्राहम्ण निवासी निम्बार्क तीर्थ सलेमाबाद किशनगढ़ जिला अजमेर राज.
11. गिरधारी लाल पुत्र मोहनराम
12. नेमाराम पुत्र मोहनराम
13. बाबुलाल पुत्र मोहनराम
14. मदनलाल पुत्र मोहनराम
15. रामेश्वरलाल पुत्र मोहनराम जाति कुम्हार निवासी श्रवणपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.
16. दिनेशसिंह पुत्र सुखदेवसिंह जाति जाट निवासी मिर्धानगर कुचामनसिटी जिला नागौर
17. तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.
18. उप पंजियक कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

दावा— बाबत अधिकारों की घोषणा, बंटवारा होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :—श्री पुष्पेन्द्रसिंह मेड़तिया अधिवक्ता वादीया की ओर से।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

श्री मोहम्मद हनीफ अधिवक्ता प्रति. 1 की ओर से।
श्री प्रभूराम गुर्जर अधिवक्ता प्रति. 2 से 10 की ओर से।

निर्णय (संशोधित)

दिनॉक :– 24-03-2022

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम उगरपुरा में वादीया के दादा मानमल पुत्र रतनलाल के सहखातेदारी की कृषि भूमि गत खसरा नं. 118 रकबा 68 बीघा 8 बिस्वा, गत खसरा नम्बर 118/1 रकबा 4 बिस्वा कुल रकबा 68 बीघा 12 बिस्वा में 1/2 हिस्सा की अवस्थित रही है। तहसील नावां में द्वितीय भू–प्रबन्ध की कार्यवाही में गत खसरा नम्बर 118 व 118/1 के नवीन खसरा नम्बर 342 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 343 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 344 रकबा 5.47 हैक्टर, खसरा नम्बर 345 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 346 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 347 रकबा 5.55 हैक्टर कुल रकबा 11.11 हैक्टर कायम हुये तथा ग्राम उगरपुरा में से नया गांव श्रवणपुरा बनाया गया, वर्तमान में वादग्रस्त खसरों की भूमि ग्राम श्रवणपुरा में स्थित है, जिसके खसरा नम्बर 342, 343, 344 के सम्बन्ध में इस वाद में कोई विवाद नही है, इस वाद की विषयवस्तु खसरा नम्बर 345 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 346 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 347 रकबा 5.55 हैक्टर है। जिन्हे इस वाद में आगे वादग्रस्त आराजियात से सम्बोधित किया जायेगा, वादीया के दादा मानमल, दादी कमलादेवी व पिता मुरलीधर का स्वर्गवास हो चुका है, वादीया व प्रतिवादीगण 1 ता 10 का सजरा खानदान निम्नवत है :–

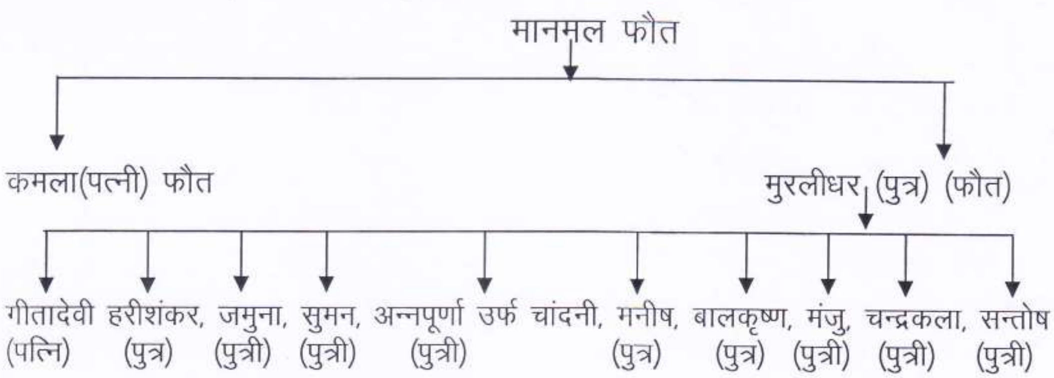

वादीया तथा प्रतिवादी सं. 1 से 10 एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा हिन्दू मिताक्षरा शाखा से शासित होते है, पैरा संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात की भूमि वादीया व प्रतिवादी सं. 1 से 10 की पैतृक सहदायिकी (Coparcenary) की सम्पति है तथा उक्त वादग्रस्त आराजीयात में वादी (Coparcenary) होने से बाई बर्थ वादग्रस्त आराजीयात में वादी का 1/11 हिस्सा है, वादग्रस्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 10 की पैतृक एवं संयुक्त परिवार की सम्पति है,, परिवार में सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के कारण राजस्व रेकार्ड में वादी के पिता मुरलीधर के नाम से अंकित थी, राजस्व रेकर्ड

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

का दुरूपयोग करते हुये वादीया को उसके हक हिस्से से महरूम करने व हक हिस्से को हड़प करने की नियत से प्रतिवादी सं. 1 ने वादी के पिता से वादग्रस्त आराजीयात की भूमि खसरा नम्बर 347 में से रकबा 1.57 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 16 को बेचान कर दी। जिसकी जानकारी वादीया को नही हो सकी तथा वादग्रस्त खसरा नम्बर 345, 346, 347 की सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी सं. 1 वादी के पिता से दिनॉक 12.08.2010 को अपने नाम बक्शीश करवा ली, जिसकी भी जानकारी वादीया को नही हो सकी, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा बक्शीश का दुरूपयोग करते हुये प्रतिवादी सं. 1 द्वारा पैतृक भूमि में से रकबा 0.2823 हैक्टर भूमि प्रतिवादी सं. 11 से 15 को जरिये पंजिकृत बेचाननामा दिनॉक 27.10.2021 को बिना पारिवारिक आवश्यकता के एंव वादीया को उसके हक अधिकारों से वंचित करने के उद्देश्य से बिना किसी अधिकार के बेचान कर दी गई, प्रतिवादी सं. 1 द्वारा किये गये बेचान की जानकारी वर्तमान समय में हुई तब जाकर राजस्व रेकार्ड इत्यादि की नकले ली गई, उपरोक्त भूमि मे वादीया का 1/11 हिस्सा हिन्दू विधि की धारा 6 के अनुसार जन्म से ही है, जिसकी घोषणा करवाने की वादीया अधिकारी है, प्रतिवादी सं. 1 व 11 से 15 व 16 के पक्ष में किये गये तथाकथित हस्तानान्तरण विधि विरूद्व है तथा वादी इन्हे सक्षम न्यायालय से अवैध शून्य व निरस्त करवाने के अपने अधिकार सुरक्षित रखती है, वादीया की इस्तदुआ है कि ग्राम श्रवणपुरा के खसरा नम्बर 345 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 346 रकबा 0.04 हैक्ट, खसरा नम्बर 347 रकबा 5.55 हैक्टर कुल रकबा 5.60 हैक्टर में वादीया 1/11 हिस्से की खातेदार काश्तकार है तथा इसी माफिक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करवाया जाकर वादी अलग होल्डिंग कायम फरमाई जावे।

वाद वादीया दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। इस दौरान वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 10 द्वारा राजस्व लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर लिखित में राजीनामा प्रस्तुत किया, जिसे तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 17 एवं 18 स्वयं उपस्थित आये, जिन्होने किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नही करना चाहा, प्रवितादी संख्या 11 से 15 को एवं 16 को किये गये विक्रय पत्रों का राजीनामा में उल्लेख किया गया है कि प्रतिवादी सं. 1 ने पूर्व में किये गये बेचान पारिवारिक आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु उचित बाजार कीमत प्राप्त करके पंजिबद्व करवाये गये है, तथा प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज शेष भूमि में 1/11 – 1/11 का वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 से 10 ने खातेदारी चाही जाने का कथन अंकित किया है इसलिये प्रतिवादी सं. 11 से 15 व 16 को तलब किये जाने की कोई आवश्यकता नही है।

दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी नकल सम्वत 2021 से 2024 एवं सम्वत 2025 से 2028, मिलान क्षेत्रफल की नकल, जमाबंदी नकल सम्वत 2075–2078 ग्राम श्रवणपुरा के खाता संख्या 17 खसरा नम्बर 345, 346, 347 कुल रकबा 3.98 हैक्टर, खाता संख्या 95

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

खसरा नम्बर 700/689, बेचान दस्तावेज संख्या 202103471103567 दिनॉक 27.10.2021, बक्शीस नामा दस्तावेज संख्या 2010001759 दिनॉक 12.08.2010 की छाया प्रति प्रस्तुत की है। वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने राजीनामा प्रस्तुत कर कथन किया है कि ग्राम श्रवणपुरा के खसरा नम्बर 345, 346, 347 कुल रकबा 3.98 हैक्टर कृषि भूमि के सम्बन्ध में वादीया एवं प्रतिवादी गीता देवी धर्म पत्नि मुरलीधर के पक्ष में उप पंजियक कार्यालय कुचामनसिटी में दिनॉक 12.08.2010 को विधिवत बख्शीशनामा पंजिबद्व करवा कर इस बख्शीश की गई कृषि भूमि का मौके पर प्रतिवादी श्रीमति गीतादेवी को कब्जा सुपुर्द कर काबिज करवाकर एकमात्र खातेदार मालिक बना दिया था ताकि भविष्य में प्रतिवादी गीतादेवी को जब कभी रूपयो की आवश्यकता उत्पन्न हो अन्यत्र बेचान कर सके, उपरोक्त भूमि में उनका किसी प्रकार का हक हिस्सा नही है, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीया एवं प्रतिवादी सं. 2 से 10 से सहमति व अनुमति लेकर ही उपरोक्त भूमि ग्राम श्रवणपुरा के खसरा नम्बर 347 रकबा 3.98 हैक्टर में से 2.93 हैक्टर बेचान दस्तावेज संख्या 202103471103955 दिनॉक 22.11.2021 भूमि खरीददार पाना सोलंकी पत्नी रमजान सोलंकी, रमजान सोलंकी पुत्र नूर मोहम्मद सोलंकी, मोहम्मद हनीफ सोलंकी पुत्र नूर मोहम्मद सोलंकी, बरकत बानो पत्नी मोहम्मद हनीफ सोलंकी जाति तेली कुचामनसिटी, दीपक पुत्र रामचन्द्र माली नि. मारोठ को किया गया एवं इस खसरा में से एक अन्य बेचान रकबा 0.2823 हैक्टर कृषि भूमि का दिनॉक 27.10.2021 को मदनलाल रामेश्वरलाल बाबूलाल नेमाराम गिरधारीलाल पि. मोहनराम कुमावत श्रवणपुरा के हक में किया गया, उक्त बेचाननामा कि सम्बन्ध में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 10 अथवा उनके वारिसान हितग्राहियों, प्रतिनिधियों, को किसी भी प्रकार से न्यायालय सरकारी गैर सकारी अर्द्व सरकारी स्थानीय स्वायत्तशाषी संस्थान के सक्षम चुनौती देने का अधिकार नही होगा तथा उक्त बेचाननामें के बाबत किसी भी प्रकार का उज्र ऐतराज दावा अपील आपत्ति करने का वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 10 को कोई हक अधिकार नही होगा, उपरोक्त पंजिबद्व बेचान विलेख करवाकर प्रतिवादी गीतादेवी द्वारा खरीददारान को माफिक बेचान कब्जा हस्तानान्तरण किया गया है, इसलिये उक्त बेचान एक्ट ओपन हो चुके है और उक्त सभी खरीददारान मौके पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर उक्त कृषि भूमि के रेकडेर्ड खातेदारी अधिकारों का निरन्तर एवं निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग कर रहे है।

नकल खतौनी सम्वत 2021–2024 ग्राम उगरपुरा के गत खसरा नम्बर ११८ बीघा ६८ बीघा ८ बिस्वा, ११८/१ रकबा ४ बिस्वा कुल रकबा ६८ बीघा १२ बिस्वा में देवा पुत्र दाना कुम्हा 1/2 देह मानमल पुत्र रतनलाल कौम ब्राहम्ण मीन्डा सा. कुचामन 1/2 दर्ज है, सम्वत 2025–2028 मु.कमला बेवा मानमल कौम ब्राहम्ण मीन्डा मुरलीधर खोले मानमल मीन्डा ब्राहमण सा. कुचामन 1/2 शिवदानमल पुत्र गेन्दाराम खत्री 1/4 जोगेन्द्रनाथ पुत्र शिवदानमल खत्री 1/4 सा. कुचामन दर्ज है, नकल खतौनी सम्वत 2075–2078 ग्राम श्रवणपुरा के खाता सं. 17 खसरा नम्बर 345, 346, 347 कुल रकबा

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

3.98 हैक्टर में गीतादेवी पत्नी मुरलीधर हिस्सा पूर्ण जाति ब्राहम्ण सा. कुचामनसिटी दर्ज है, नकल खतौनी 2075–2078 खाता संख्या 141 खसरा नम्बर 347 रकबा 3.93 हैक्टर में गीतादेवी पत्नी मुरलीधर हिस्सा 100/393– जाति ब्राहम्ण सा. कुचामनसिटी दीपक पुत्र रामचन्द्र हिस्सा–293/1965 जाति माली सा. मारोठ तह. नावां खातेदार, पाना सोलंकी पत्नी रमजान सोलंकी हिस्सा–293/1965 जाति तेली सा. कुचामनसिटी खातेदार, बरकत बानो पत्नी मोहम्मद हनीफ सोलंकी हिस्सा–293/1965 जाति तेली सा. कुचामनसिटी खातेदार, मोहम्मद हनीफ सोलंकी पुत्र नूरमोहम्मद सोलंकी हिस्सा–293/1965 जाति तेली सा. कुचामनसिटी खातेदार, रमजान अली सोलंकी पुत्र नूरमोहम्मद सोलंकी हिस्सा–293/1965 जाति तेली सा. कुचामनसिटी खातेदार दर्ज है, सम्वत 2075–2078 ग्राम श्रवणपुरा के खसरा नम्बर 345 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.कुआ खसरा नम्बर 346 रकबा 0.04 हैक्टर कुल रकबा 0.05 हैक्टर में गीतादेवी पत्नी मुरलीधर हिस्सा पूर्ण जाति ब्राहम्ण सा. कुचामनसिटी दर्ज है, खसरा नम्बर 689/347 में दिनेशसिंह पुत्र सुखदेवसिंह हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार दर्ज है।

उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। प्रकरण में पक्षकारान वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 10 के मध्य राजीनामा प्रस्तुत होकर शामिल मिसल किया जा चुका है, जिसके अनुसार प्रतिवादी गीतादेवी पत्नी मुरलीधर शर्मा जाति ब्राहम्ण सा. कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बेचान दस्तावेजात इत्यादि को सही होना स्वीकार किया है तथा वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 को वर्तमान एवं भविष्य में उनको किसी प्रकार का ऐतराज नही होगा तथा शेष रही भूमि को वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 से 10 के 1/11 हिस्से में दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी गीतादेवी द्वारा बेचान दिनॉक 27.10.2021 प्रतिवादी संख्या 11 से 15 को 0.2823 हैक्टर को उनके खाते में दर्ज की जाती है तो भी उन्हे कोई एतराज नही होगा। यदि प्रतिवादी सं. 11 ता 15 उपरोक्त बेचान दस्तावेज अनुसार अपने नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी दर्ज करवाये तो भी उन्हे किसी प्रकार की आपत्ति एवं ऐतराज नही है, प्रतिवादी गीतादेवी द्वारा बेचान दस्तोवज अनुसार दीपक पुत्र रामचन्द्र हिस्सा–293/1965 जाति माली सा. मारोठ तह. नावां खातेदार, पाना सोलंकी पत्नी रमजान सोलंकी हिस्सा–293/1965 जाति तेली सा. कुचामनसिटी खातेदार, बरकत बानो पत्नी मोहम्मद हनीफ सोलंकी हिस्सा–293/1965 जाति तेली सा. कुचामनसिटी खातेदार, मोहम्मद हनीफ सोलंकी पुत्र नूरमोहम्मद सोलंकी हिस्सा–293/1965 जाति तेली सा. कुचामनसिटी खातेदार, रमजान अली सोलंकी पुत्र नूरमोहम्मद सोलंकी हिस्सा–293/1965 जाति तेली सा. कुचामनसिटी के नाम खातेदारी दर्ज हो चुकी है, जिसका भी वादीया एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 10 को किसी प्रकार का ऐजराज नही है। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बेचान दस्तावेजात, जमाबन्दी नकले इत्यादि के अवलोकन से स्पष्ट है कि गीता देवी पत्नी मुरलीधर ब्राहम्ण द्वारा समय–समय पर किये गये बेचान इत्यादि अपनी

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

पारिवारिक जरूरतो को ध्यान में रखते हुए वादीया एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 10 से सलाह करके ही बेचान किये गये है तथा वर्तमान में भी शेष रही भूमि को यदि वह यथा समय बेचान करे तो उन्हे कोई आपत्ति नही है, ग्राम श्रवणपुरा के खसरा नम्बर 345 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 346 रकबा 0.04 हैक्टर कुल रकबा 0.05 हैक्टर में एवं खसरा नम्बर 347 रकबा 3.93 हैक्टर में स्थित गीतादेवी के नाम दर्ज भूमि में वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 से 11 को बराबर–बराबर हिस्से के खातेदार घोषित किये जा सकते है। बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रस्तुत राजीनामें मे नही चाहा गया है। इसलिए वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है।

उभय पक्षकार अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 10 के अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर मूल पत्रावली तलब की गई। प्रार्थना–पत्र में कथन किया है कि ग्राम श्रवणपुरा के खसरा नम्बर 345 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 346 रकबा 0.04 हैक्टर खसरा नम्बर 347 रकबा 3.93 हैक्टर में शेष रही भूमि 0.7177 हैक्टर की प्रतिवादी सं. 1 गीतादेवी पूर्व से ही खातेदार दर्ज है। चूँकि प्रस्तुत राजीनामा दिनॉक 12.03.2022 में वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 10 को वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार से हक हिस्सा नही जाने बाबत कथन किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा जारी निर्णय एवं डिक्री आदेश दिनॉक 14.03.2022 में उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी सं. 1 गीता देवी के साथ साथ वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 10 को 1/11 – 1/11 का गीता देवी के हिस्से की भूमि में बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। जबकि राजीनामा में इस प्रकार का उल्लेख नही है कि गीता देवी की खातेदारी भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 10 को 1/11–1/11 हिस्सा दिया जावें। अतः संशोधित डिक्री आदेश प्रदान करने की कृपा करावें। प्रकरण में उभय पक्षकार वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 10 के अधिवक्ताओं को सुना गया, जिन्होने प्रार्थना–पत्र एवं वाद–पत्र एवं राजीनामा में उल्लेखित तथ्यों को दोहराया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजीनामा में भी स्पष्ट उल्लेख नही किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादी 1 से 10 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावे एवं बेचान एवं हस्तानान्तरण के पश्चात शेष रही भूमि में प्रतिवादी गीता देवी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। परन्तु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं राजीनामा का गहन अध्ययन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन करने एवं सहानुभूति पूर्वक विचार करने पर न्यायालय का मत है कि ग्राम श्रवणपुरा के खसरा नम्बर 345 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 346 रकबा 0.04 हैक्टर सम्पूर्ण का प्रतिवादी गीता देवी खातेदार काश्तकार दर्ज है। खसरा नम्बर 347 रकबा 3.93 हैक्टर में बेचान हस्तानान्तरण के पश्चात शेष रही भूमि 1.00 हैक्टर में से 0.2823 हैक्टर प्रतिवादी सं. 11 से 15 को बेचान पश्चात शेष रही भूमि 0.7177 हैक्टर में प्रतिवादी गीतादेवी पूर्ववत्त ही खातेदार है। अतः दिनॉक

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

14.03.2022 को पारित निर्णय एवं डिक्री आदेश में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है। राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा।

संशोधित–निर्णय

अतः वाद आंशिक रूप से राजीनामा अनुसार संशोधित डिक्री किया जाता है एवं ग्राम श्रवणपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 345 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 346 रकबा 0.04 हैक्टर कुल रकबा 0.05 हैक्टर में प्रतिवादी सं. 1 जो कि खातेदार दर्ज है, को पूर्ववत खातेदार रखते हुए तथा ग्राम श्रवणपुरा के खसरा नम्बर 347 रकबा 3.93 हैक्टर में से प्रतिवादी सं. 1 द्वारा बेचान दस्तावेज सं. 202103471103567 दिनॉक 27.10.2021 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 11 से 15 को 0.2823 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है (दीपक पुत्र रामचन्द्र हिस्सा–293/1965 जाति माली सा. मारोठ तह. नावां खातेदार, पाना सोलंकी पत्नी रमजान सोलंकी हिस्सा–293/1965 जाति तेली सा. कुचामनसिटी खातेदार, बरकत बानो पत्नी मोहम्मद हनीफ सोलंकी हिस्सा–293/1965 जाति तेली सा. कुचामनसिटी खातेदार, मोहम्मद हनीफ सोलंकी पुत्र नूरमोहम्मद सोलंकी हिस्सा–293/1965 जाति तेली सा. कुचामनसिटी खातेदार, रमजान अली सोलंकी पुत्र नूरमोहम्मद सोलंकी हिस्सा–293/1965 जाति तेली सा. कुचामनसिटी कुल हिस्सा 2.93 हैक्टर भूमि यथावत पूर्व राजस्व रेकार्ड अनुसार दर्ज रहेगी), राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा। उक्त अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो, डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनॉक 24/3/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई (संशोधित)
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : **बाबुलाल जाट (आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद संख्या :– 246 / 2021 **RCMS 2021/989**

1. वसुन्धरा पुत्री स्व. मुरलीधर पत्नी कमल किशोर जाति ब्राहम्ण निवासी खजुर वाली कोठी, श्रवणपुरा हाल निवासी दुर्गा कॉलोनी, रामपुरा रोड़ सीकर जिला सीकर राज.

बनाम

प्रतिवादी

1. गीतादेवी पत्नी स्व. मुरलीधर जाति ब्राहम्ण
2. बालकृष्ण पुत्र स्व. मुरलीधर जाति ब्राहम्ण
3. मनीष पुत्र स्व. मुरलीधर जाति ब्राहम्ण
4. हरीशंकर पुत्र स्व. मुरलीधर जाति ब्राहम्ण निवासी खजुर वाली कोठी, श्रवणपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.
5. जमना पुत्री स्व. मुरलीधर पत्नी अनुप कुमार मिश्रा जाति ब्राहम्ण निवासी नेछवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.
6. मंजु पुत्री स्व. मुरलीधर पत्नी सुरेश मिश्रा जाति ब्राहम्ण निवासी बानूड़ा (खूड़) जिला सीकर राज.
7. सुमन पुत्री स्व. मुरलीधर पत्नी रामाकान्त जाति ब्राहम्ण निवासी बानूड़ा (खूड़) जिला सीकर राज.
8. चन्द्रकला पुत्री स्व. मुरलीधर पत्नी होलास गौड़ जाति ब्राहम्ण निवासी भांवता तहसील नावां जिला नागौर राज.
9. अन्नपूर्णा उर्फ चांदनी पुत्री स्व. मुरलीधर पत्नी महेश (धन्नजय) निवासी सांगानेरी गेट भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा राज.
10. संतोष पुत्री स्व. मुरलीधर पत्नी सोमदत्त इच्छावत (शर्मा) जाति ब्राहम्ण निवासी निम्बार्क तीर्थ सलेमाबाद किशनगढ़ जिला अजमेर राज.
11. गिरधारी लाल पुत्र मोहनराम
12. नेमाराम पुत्र मोहनराम
13. बाबुलाल पुत्र मोहनराम
14. मदनलाल पुत्र मोहनराम
15. रामेश्वरलाल पुत्र मोहनराम जाति कुम्हार निवासी श्रवणपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.
16. दिनेशसिंह पुत्र सुखदेवसिंह जाति जाट निवासी मिर्धानगर कुचामनसिटी जिला नागौर
17. तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.
18. उप पंजियक कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री पुष्पेन्द्रसिंह मेड़तिया अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री मोहम्मद हनीफ, श्री प्रभूराम गुर्जर प्रतिवादी अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **अतः वाद आंशिक**

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

रूप से राजीनामा अनुसार संशोधित डिक्री किया जाता है एवं ग्राम श्रवणपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 345 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 346 रकबा 0.04 हैक्टर कुल रकबा 0.05 हैक्टर में प्रतिवादी सं. 1 जो कि खातेदार दर्ज है, को पूर्ववत खातेदार रखते हुए तथा ग्राम श्रवणपुरा के खसरा नम्बर 347 रकबा 3.93 हैक्टर में से प्रतिवादी सं. 1 द्वारा बेचान दस्तावेज सं. 202103471103567 दिनॉक 27.10.2021 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 11 से 15 को 0.2823 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है (दीपक पुत्र रामचन्द्र हिस्सा–293/1965 जाति माली सा. मारोठ तह. नावां खातेदार, पाना सोलंकी पत्नी रमजान सोलंकी हिस्सा–293/1965 जाति तेली सा. कुचामनसिटी खातेदार, बरकत बानो पत्नी मोहम्मद हनीफ सोलंकी हिस्सा–293/1965 जाति तेली सा. कुचामनसिटी खातेदार, मोहम्मद हनीफ सोलंकी पुत्र नूरमोहम्मद सोलंकी हिस्सा–293/1965 जाति तेली सा. कुचामनसिटी खातेदार, रमजान अली सोलंकी पुत्र नूरमोहम्मद सोलंकी हिस्सा–293/1965 जाति तेली सा. कुचामनसिटी कुल हिस्सा 2.93 हैक्टर भूमि यथावत पूर्व राजस्व रेकार्ड अनुसार दर्ज रहेगी), राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा। उक्त अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो, डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निज .... मुबलिग .... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 24 माह 3 .... सन् 2022 .... को जारी की गई।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा कुचामन सिटी (नागौर) (मुहर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।